



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29.06.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 418/22 धारा  
147/148/452/323/504/308/506/120बी भादवि व 7 सीएल एक्ट में वांछित 02  
अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06/05/22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री सुरेश पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी गई कि उसके गांव के 1. मौजूद्दीन, 2. वकील, 3. संजय, 4. नफीस, 5. गुलशेर, 6. इरशाद व 7. जावेद निवासीगण ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर धारदार हथियारों, डण्डों व ईंट पत्थरों से मारपीट करते हुये उसके परिवार के एक दर्जन लोगों को घायल कर दिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 418/22 धारा 147/148/452/323/504/308/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजिकृत किया गया था ।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

418/22 धारा 147/148/452/323/504/308/506/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट:-** उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मौजूद्दीन पुत्र रसीद निवासी नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-संजय पुत्र मौहम्मद निवासी नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त।
- 2-का0 885 हरिओम।
- 3-का0 1130 सोनू तेवतिया।

प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 29-06-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 516/22 धारा 323/307/504/506/324 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री अंगपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके ही गांव के अकुर पुत्र देवेन्द्र व उसके तीन अज्ञात साथियों ने उसके पुत्र अंकित के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 516/22 धारा 323/307/504/506/324 भादवि पंजीकृत किया गया।



### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 516/22 धारा 323/307/504/506/324 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अंकुर तोमर पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2.रोहित पुत्र राजीव तोमर निवासी ग्राम गुराना थाना बडौत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री कैलाशचन्द्र।
- 2-है0का0 322 राजकुमार सिंह।
- 3-का0 1016 रोहित राठौर।

थाना छपरौली

दिनांक -29.06.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 147/22 धारा

147/148/149/452/323/506/308/325 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.05.2022 को थाना छपरौली पर वादी श्रीकृष्ण पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके ही गांव के 1-सूरज, 2-रवि, 3-सागर व 4-आकाश ने उसके घर में घुस कर उसको व उसके परिजनो को गाली-गलौच करते हुए लाठी-डंडो से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 147/22 धारा 452/323/506 भादवि में पंजिकृत किया गया था।



विवेचना से मुकदमे में धारा 325/308 भादवि को होना पाया गया। दिनांक 29.06.2022 को अभियुक्त हरवीर पुत्र जयसिंह निवासी मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आने पर उक्त अभियोग में धारा 147/148/149 की वृद्धि की गई।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 147/22 धारा 147/148/149/452/323/506/308/325 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-हरवीर पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम मुकन्दपुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 राजीव कुमार।

2-है0का0 72 कमलसिंह।

थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/2022 धारा 409/504 भादवि से सम्बन्धित  
लाईसेन्सी रिवाल्वर मालखाने से हुई बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

श्री सुकरमपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल भगवानपुर थाना दोघट जनपद बागपत के नाम एक लाईसेन्सी रिवाल्वर था जिसकी मृत्यु वर्ष 2019 में हो जाने के उपरान्त उनके भाई देवेन्द्र कुमार पुत्र सत्यपाल सिंह द्वारा दिनांक 24-11-2019 में तत्कालीन हैड मोहर्रिर मुख्य आरक्षी 48 मामचंद के सुपुर्द किया गया था । हैड



मोहर्रिर मुख्य आरक्षी 48 मामचंद के द्वारा लाईसेन्सी रिवाल्वर जमा करने की उनको रसीद दी गयी थी । सुकरमपाल की मृत्यु के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेशानुसार दिनांक 31.05.2022 को उक्त लाईसेन्सी रिवाल्वर को मृतक लाईसेन्सी के पुत्र श्री परिक्षित पंवार पुत्र स्व0 श्री सुकरमपाल निवासी ग्राम मौजिजाबाद नांगल भगवानपुर थाना दोघट जनपद बागपत के नाम विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया, जिसे लेने के लिये आवेदक कई बार थाना दोघट गया लेकिन उक्त लाईसेन्सी रिवाल्वर उसे नहीं मिली । श्रीमान क्षेत्राधिकारी क्राईम बागपत की जांच आख्या के आधार पर प्रभारी निरीक्षक थाना दोघट द्वारा थाना दोघट पर मु0अ0सं0 159/2022 धारा 409/504 भादवि पंजीकृत कराया गया ।

### कार्यवाही-

प्रभारी निरीक्षक दोघट द्वारा दिनांक 29.06.2022 को आवश्यक कार्यवाही करते हुए गुमशुदा लाईसेन्सी रिवाल्वर की बरामदगी हेतु हैड मोहर्रिर है0का0 48 मामचंद को थाने पर लाया गया । इनके द्वारा मालखाने से रिवाल्वर को निकालकर उपलब्ध कराया गया । आवेदक परिक्षित पंवार द्वारा रिवाल्वर को तस्दीक किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।